



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2018—फाल्गुन 25 शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2018

अधि. क्र. 11-एफ 1-36-2017-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 5 (क) (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये ग्राम पंचायत कस्बरेंज, ग्राम पंचायत मीरकाबाद, ग्राम पंचायत ढिचरी का ग्राम कस्बाकाछी एवं घनश्यामपुर को निम्न अनुसूची-1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् मुंगावली का क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है :—

अनुसूची—एक

क्रमांक	शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायत	शामिल किये जाने वाले ग्राम (सम्पूर्ण राजस्व ग्राम)	तहसील	शामिल किये जाने वाला ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कस्बरेंज ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र।	कस्बरेंज ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र।	मुंगावली	433.797
2.	महुआखाड़ी ग्राम का क्षेत्र सहित मीरकाबाद ग्राम पंचायत।	महुआखाड़ी ग्राम का क्षेत्र सहित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत मीरकाबाद क्षेत्र (इन्द्रनगर को छोड़कर)।	मुंगावली	607
3.	कस्बाकाछी ग्राम सहित घनश्यामपुर जो ग्राम पंचायत ढिचरी का क्षेत्र है।	कस्बाकाछी एवं घनश्यामपुर ग्रामों का क्षेत्र।	मुंगावली	203

अनुसूची—दो

अनुसूची—एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर परिषद् मुंगावली की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है :—

उत्तर में—चन्देरी रोड भारतपुरा रेल्वे फाटक से प्रारंभ होकर रेल्वे लाईन के उत्तरी भाग की सीमा मीरकाबाद ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र इंद्रा नगर की सम्पूर्ण सीमा को छोड़कर पूर्व में रेल्वे की माल गोदाम तक

पूर्व में—रेलवे की माल गोदाम से प्रारंभ होकर दक्षिण भाग कस्बारेंज के सर्वे लेरे हुये घनश्यामपुर के सम्पूर्ण सर्वे नम्बर व कस्बाकाछी के सम्पूर्ण सर्वे नम्बरों को शामिल करते हुये, गौशाला कस्बाकाछी तक.

दक्षिण में—कस्बाकाछी से पश्चिमी सीमा कस्बारेंज के सर्वे नम्बरों को शामिल करते हुये गोरानाले की पूर्वी सीमा को शामिल करते हुये केन्द्रीय विद्यालय की पुलिया तक.

पश्चिम में—केन्द्रीय विद्यालय की पुलिया से प्रारंभ होकर कस्बारेंज के सम्पूर्ण सर्वे नम्बरों को शामिल करते हुए चन्द्रेरी रोड भातपुरा रेलवे फाटक तक.

Noti. No. 11-F-1-36-2017-XVIII-3.—In exercise of powers conferred by Section 3-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (Number 37 of 1961), the Government of Madhya Pradesh is pleased to include the areas as specified in Schedule-1 and Schedule 2, below within the limit of Municipal area of Mungaoli, District Ashoknagar :—

SCHEDULE-I

S. No.	The Grampanchayat included within the Municipal limit of Mungaoli	Name of Villages (Complete Area of Rajasv Gram)	Tehsil	Description Area (Ha.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Complete area of Kasbarange Grampanchayat.	Kasbarange Mungaoli.	Mungaoli	433.797
2	Area of Mahuakhadi Gram with Mirkabad Gram Panchayat.	Area of Mahuakhadi Gram with Mirkabad Gram Panchayat Excluding Indranagar.	Mungaoli	607.00
3	Area of Kasbakachi and Ghanshyampur of Gram panchayat Dhichri.	Area of Kasbakachi and Ghanshyampur.	Mungaoli	203.00

SCHEDULE-II

In North—Starting from the Chanderi Road Bhatpura Railway Gate, including the Complete area from North Boundary of Railway Line, complete are of Mirkabad Grampanchayat, Excluding the complete are of Indranagar upto the railway mall godown in the East.

In East—Starting from the Railway mall godam including the south side survey number of Kasba range, including all survey number of Ghanshyampur and Kashbakachi upto the Kasbakachi Goushala.

In South—Including West side survey number of Kasbakachi, including East Boundary Goranala upto the Puliya of Kendariya Vidhyalay.

In West—Starting from the Kendariya Vidhyalay's puliya including the survey numbers of Kasbarenge up to Chanderi Road Bhatpura Railway Phatak.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, उपसचिव.